मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

दलेसिंह आदि बनाम बालकिशन आदि

दावा बाबत :– 88,188 RTACT

मुकदमा नम्बर :– 190/2019

निर्णय दिनांक :– 29-10-2021

वादी की ओर से वकील महेन्द्र जांगिड़ की व प्रतिवादी सं0 1,5,7 की ओर से वकील योगेश शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही उतरादाबास के खाता सं. 124/115 के खसरा सं. 254 की 3.1740, खसरा सं. 234 की 1.3910 है0, खसरा सं. 294 की 0.1520 है0 खसरा सं. 297 की 0.5310 है0, खसरा सं. 428 की 3.1110 है0 कुल 8.3590 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 बालकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं. 1 बालकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं. 1 दलेसिंह का 1/5 हिस्सा, वादीगण सं. 2 लीलाधर को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 सुभाष को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 स्व. मांगेराम के वारिसान में 3/1 मायावती पत्नी स्व. मांगेराम, 3/4 संजीव पुत्र स्व. मांगेराम का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है – कि प्रतिवादी सं. 4 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3/1, 3/4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं 3/2 व 3/3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा 3/1 व 3/4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग का देय पंजीयन शुल्क अदा करने व कृषि भूमि बेंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का दर्जा दिया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:53:29 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner